

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा कार्यालय)
आदेश

संचिका संख्या—01/मा०शि०/स्था०ख’—68/2024/233। पटना, दिनांक—12/12/2025

विषय:— सभी सरकारी विद्यालयों हेतु मॉडल टाइम—टेबल।

पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक—2249 दिनांक—02.12.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय सहित मॉडल टाइम—टेबल निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है :—

प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की समय—सारणी

1	09:30 AM	विद्यालय शुरू होने का समय।
2	09:30 AM – 10:00 AM	प्रार्थना आदि
3	10:00 AM – 10:40 AM	पहली घंटी
4	10:40 AM – 11:20 AM	दूसरी घंटी
5	11:20 AM – 12:00 PM	तीसरी घंटी
6	12:00 PM – 12:40 PM	(MDM एवं मध्यांतर)
7	12:40 PM – 1:20 PM	चौथी घंटी
8	01:20 PM – 02:00 PM	पांचवी घंटी
9	02:00 PM – 02:40 PM	छठवी घंटी
10	02:40 PM – 03:20 PM	सातवी घंटी
11	03:20 PM – 04:00 PM	आठवी घंटी
12	04:00 PM	छुट्टी

- (09:30 AM – 10:00 AM) बच्चों का गेट अप, पोशाक, बाल और नाखून की जाँच शिक्षकों के द्वारा की जाएगी। इसके बाद प्रार्थना यथा निर्धारित, बिहार गीत आदि करायेंगे। तत्पश्चात् सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन एवं अन्य परिचर्चा कराई जाएगी। असेम्बली में सभी शिक्षक/शिक्षिका/शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक दिन राष्ट्रगान (जन—गण—मन) से समापन करायेंगे। इस कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य रहेगा।
- अनिवार्य रूप से प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए खेलकूद/संगीत/नृत्य/पेंटिंग का एक घंटी निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग—अलग वर्ग के लिए अलग—अलग

समयांतराल निर्धारित करेंगे। एक ही साथ सभी वर्गों के लिए एक विद्या/गतिविधि जैसे—खेल—कूद आदि निर्धारित नहीं करेंगे।

3. यदि विद्यालय में किसी कक्षा की बोर्ड/सेंटअप परीक्षा ली जा रही हो तो अन्य कक्षाओं को स्थगित नहीं किया जायेगा। अन्य कक्षाओं में अध्यापन का कार्य चलते रहना चाहिए।

4. शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधि (यथा निर्धारित बैगलेस सुरक्षित शनिवार वर्ग 01 से 08 तक के लिए) जारी रहेगी। मध्यान्तर तक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य होगा। भोजनावकाश/मध्यान्तर के बाद बाल संसद/सभा, खेल—कूद, सृजनात्मक गतिविधि, अभिभावकों के साथ बैठक (महीने में एक शनिवार को) आयोजित की जायेगी। जिस माह में पाँचवा शनिवार आएगा उस शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए पिछले सभी शनिवार में बच्चों द्वारा निर्मित सामग्रियों/गतिविधियों का प्रदर्शन किया जायेगा एवं समीक्षा करते हुए शिक्षकों द्वारा आकलन/मूल्यांकन किया जायेगा।

5. संस्कृत बोर्ड के अन्तर्गत विद्यालय तथा राजकीय उर्दू विद्यालय भी इस मॉडल टाइम—टेबल का पालन करेंगे।

6. सभी वर्ग शिक्षक कक्षा में अपेक्षाकृत कमजोर बच्चों को आगे की पंक्तियों में अनिवार्य रूप से बैठाएँगे। यदि कमजोर बच्चे नहीं हैं तभी अन्य बच्चे आगे की पंक्ति में बैठेंगे। सामान्य विद्यालय के प्रत्येक वर्ग/सेक्षन में छात्र एवं छात्राएँ एक साथ बैठेंगे। छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग—अलग वर्ग/सेक्षन का संचालन नहीं किया जायेगा।

7. शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर प्रधानाध्यापक रूटीन बनाना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी।

8. प्रत्येक दिन छात्र/छात्राओं को गृह कार्य देना एवं अगले दिन उसकी जाँच करना प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा।

9. प्रतिदिन विद्यालय परिसर, वर्गकक्ष, रसोईघर एवं शौचालय आदि की साफ—सफाई के निरीक्षण करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी।

(सज्जन आर०)

निदेशक (मार्शिं)

ज्ञापांक—01/मार्शिं/स्थाख—68/2024/2331

पटना, दिनांक—12/12/2025

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी निदेशक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/सचिव, संस्कृत शिक्षा बोर्ड/सचिव, मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी राजकीय/राजकीयकृत प्रारंभिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (मार्शिं)

ज्ञापांक—01/मार्शिं/स्थाख—68/2024/2331

पटना, दिनांक—12/12/2025

प्रतिलिपि:— निदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं प्रचार—प्रसार करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (मार्शिं)

12/12/2025